

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03 / विविध-07-46 / 2008----- / रॉची, दिनांक:----- /

कार्यालय आदेश

निम्न कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान से Self Study mode में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है -

क्रमांक	नाम / पदस्थापन / कार्यालय	शिक्षण संस्थान	कोर्स का नाम
1	2	3	4
1	श्री नितिन कुमार साह / सिंचाई प्रमंडल, कुण्डहित जामताड़ा	आई.सी.ई.(इंडिया)	एसोसिएट मेम्बरशिप (AMICE)
2	श्री रविकान्त गुप्ता / सिंचाई प्रमंडल, कुण्डहित जामताड़ा	आई.सी.ई.(इंडिया)	एसोसिएट मेम्बरशिप (AMICE)
3	श्री मनोज कुमार / सिंचाई प्रमंडल, कुण्डहित, जामताड़ा	आई.सी.ई.(इंडिया)	एसोसिएट मेम्बरशिप (AMICE)

वर्णित कनीय अभियंता को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी गयी है -

- इनके शिक्षा अवधि में सरकारी कार्य सुचारु रूप से किया जायेगा तथा विभागीय हित अक्षुण्ण रहेगा।
- प्रेक्टिकल में घंटों को करने हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से अवकाश प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर Out of term प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं होगा।
- इस शिक्षा के लिये किसी प्रकार का ट्यूशन शुल्क, यात्रा भत्ता अथवा छात्रवृत्ति अनुमान्य नहीं होगा।

2. आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जामताड़ा / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कुण्डहित, जामताड़ा / संबंधित सभी कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)